डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/4-357/2024-26

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 1 जुलाई, 2024, डिस्पेच दिनांक 1 जुलाई, 2024

| वर्ष 68 | अंक 03 | भोपाल | 1 जुलाई, 2024 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

सहकारी अधिकारी-कर्मचारी अपने कर्त्तव्यों का पूरी ईमानदारी से निर्वहन करें

सहकारिता मंत्री श्री सारंग ने प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिये निर्देश

भोपाल : सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि सहकारी आंदोलन में कार्यरत प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी को अपने कर्त्तव्यों एवं दायित्वों का पूरी लगन एवं निष्ठा से निर्वहन करना होगा। इससे आपको किये गये काम से संतोष मिलेगा। मंत्री श्री सारंग अपेक्स बैंक मुख्यालय के समन्वय भवन में सहकारिता विभाग की समीक्षा कर रहे थे। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि प्रदेश का सहकारी आंदोलन पूरे प्रदेश में किसान, श्रमिक, गरीब एवं कमजोर वर्ग के उत्थान की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। इसलिये सभी की जवाबदेही है कि जो काम दिया गया है, उसे पूर्ण ईमानदारी से करें। उन्होंने कहा कि नवाचार की दिशा में प्रयास जारी रखें। साथ ही अच्छे काम को और बेहतर ढंग से करने के प्रयास करें। प्रयास से ही बेहतर परिणाम सामने आयेंगे।

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि बैठक में विचार-विमर्श के बाद जो निष्कर्ष सामने आयें, उन्हें अमल में लाया जायेगा। वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जायेगी। आगे भी इस प्रकार के प्रयास निरंतर जारी रहेंगे। उन्होंने सहकारिता विभाग के सभी संभागों के अधिकारियों के कार्यों की सराहना की।

अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक श्री मनोज गुप्ता ने कहा कि प्रत्येक जिला बैंक को केसीसी जारी करने के संबंध में बर्ड, लखनऊ में "पैक्स कम्प्यूटराइजेशन'' के लिये जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए समय-सीमा में प्राथमिकता के आधार पर फसल एवं किसान का रजिस्ट्रेशन करने की कार्यवाही सम्पादित करना चाहिये।

बैठक में प्रधानमंत्री की सहकार से समृद्धि मंत्र को साकार करने के लिये प्रारंभ की गयी गतिविधियों जैसे- पैक्स कम्प्यूटराइजेशन, जन-औषधि केन्द्र संचालन, पेट्रोल-डीजल रिटेल आउटलेट, एलपीजी, पीएम किसान समृद्धि केन्द्र, एनसीसीएफ एवं नाफेड पोर्टल पर पंजीयन, कॉमन सर्विस सेंटर शुरू करने की स्थिति के साथ एक जनवरी, 2024 से प्रदेश में नवाचार के तहत जिलों में पंजीकृत समितियों की संख्या, पैक्स में प्रशासक नियुक्ति, गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं की शिकायतों का निराकरण, परिसमापन संस्थाओं के पंजीयन निरस्ती की स्थिति, सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों की जानकारी, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों में जवाबदावा प्रस्तुत करने की स्थिति, संयुक्त, उप, सहायक आयुक्त न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण की संख्यात्मक स्थिति मार्च-2024 पर, अंकेक्षण की स्थिति, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों की वित्तीय स्थिति, सदस्य स्तर पर अल्पावधि फसल ऋणों की तुलनात्मक वसूली, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों को प्राप्ति योग्य राशि, बैंक की अमानत वृद्धि की तुलनात्मक जानकारी एवं अल्पावधि खरीफ एवं रबी ऋण की जानकारी पर पॉवर प्वाइंट प्रेजेंटेशन देकर विस्तार से चर्चा की गयी।

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ श्री मनोज कुमार सरियाम, उप सचिव सहकारिता श्री मनोज सिन्हा, अवर सचिव श्री आर.एम. मिश्रा, अपर आयुक्त श्री बृजेश शरण शुक्ला, संयुक्त आयुक्त श्री अरुण मिश्रा, श्री विमल श्रीवास्तव, श्रीमती कीर्ति सक्सेना, श्री विनोद सिंह, श्री महेन्द्र दीक्षित, श्री बी.एल. मकवाना, श्री भूपेन्द्र सिंह, अमरेश सिंह, एच.एस. बाघेला, उपायुक्त श्री आर.एस. विश्वकर्मा, उप महाप्रबंधक अपेक्स बैंक श्री आर.एस. चंदेल, सहायक महाप्रबंधक श्री के.टी. सज्जन, श्री करुण यादव, विवेक मलिक, समीर सक्सेना, अजय देवड़ा के साथ पूरे प्रदेश के संयुक्त, उप, सहायक आयुक्त, सहकारिता विभाग के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अपेक्स बैंक के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक का संचालन ओएसडी अपेक्स बैंक श्री अरविंद बौद्ध ने किया।

इस वर्ष 6 जुलाई, 2024 अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जायेगा

भोपाल। म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल के प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन द्वारा बताया गया की अंतराष्ट्रीय को-आपरेटिव अलायन्स द्वारा जुलाई के प्रथम शनिवार को प्रति वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष दिनांक 6 जुलाई 2024 दिन शनिवार को विषय : "Cooperatives Build a Better Future for All" (सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करती है) निर्धारित किया गया है । इस अवसर पर संघ मुख्यालय एवं संघ द्वारा संचालित सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रों में वृक्षारोपण एवं संगोष्ठी का आयोजन किया जायेगा। मुख्यालय में वृक्षारोपण माननीय सहकारिता मंत्री शासन, श्री विश्वास कैलाश सारंग जी, श्रीमती दीपाली रस्तोगी, प्रमुख सचिव सहकारिता म.प्र. शासन, श्री मनोज कुमार सरियाम, पंजीयक, सहकारी संस्थायें मध्यप्रदेश, श्री चन्द्रेश कुमार खरे, अध्यक्ष, म.प्र. राज्य सहकारी अधिकरण, श्री आलोक कुमार सिंह, प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ, सुश्री शीला दाहिमा, उप सचिव सहकारिता म.प्र. शासन, श्री अरूण कुमार माथुर, सदस्य, म.प्र. राज्य सहकारी अधिकरण, श्री बृजेश कुमार शुक्ला अपर आयुक्त सहकारिता के हस्ते किया जायेगा । इस अवसर पर भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय व्दारा प्रवर्तित एवं राज्य संघ व्दारा क्रियान्वित CHCDS परियोजना हितग्राहियों (कारीगरों) को टूलकिट एवं आर्टीजन कार्ड वितरण माननीय श्री विश्वास कैलाश सारंग जी, सहकारिता मंत्री म.प्र. शासन के हस्ते वितरित किये जायेंगे ।

हर जिले में विकास का रोड मैप बनाया जाए : मुख्यमंत्री

विकास कार्य प्राथमिकता निर्धारित कर पूरे किए जाएं

किसान, महिलाओं, गरीबों और युवाओं को पात्रतानुसार मिले जनहितैषी योजनाओं का लाभ

जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी सरकार के अंग हैं

मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों के विकास कार्यों की ली जानकारी

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में विकास के कार्य निरंतर चलते रहें। हर जिले में विकास कार्यों को पूरा करने के लिए रोड मैप तैयार कर लिया जाए। जिले के विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रवार भी विकास कार्यों का विभाजन कर लिया जाए। आगामी चार-पांच वर्षों के लिए यह रोड मैप तैयार किया जाए। विकास कार्यों को प्राथमिकता निर्धारित कर पूरा करने की योजना भी बनाई जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव समत्व भवन से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों के विकास कार्यों की जानकारी ले रहे थे। वीडियो कांफ्रेंसिंग में जिलों से मंत्रीमण्डल के सदस्य, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी वर्चुअली जुड़े। मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा, पुलिस महानिदेशक श्री सुधीर कुमार सक्सेना, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय डॉ. राजेश राजौरा सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता वाली योजनाओं का लाभ किसानों, महिलाओं, गरीबों और युवाओं को पात्रतानुसार मिले। कोई भी हितग्राही जनहितैषी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में सबसे अधिक लगभग चार करोड़ आयुष्मान कार्ड बने हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उपलब्धि के लिये जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को बधाई दी। प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना का हितग्राहियों को वृहद स्तर पर लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन पर जनप्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर कार्य करें।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि एक जिला-एक उत्पाद योजना की मार्केटिंग हो। रोजगारपरक कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों की बेहतर भूमिका रहे। जल-गंगा संवर्धन अभियान और पौधरोपण अभियान बड़े पैमाने पर चलता रहे। पौधरोपण अभियान के तहत अच्छे छायादार और फलदार पौधे लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि जबलपुर, इंदौर, भोपाल सहित विभिन्न जिलों में वृहद स्तर पर पौधे लगाने का कार्य अच्छा हुआ हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कहा कि स्कूल चलें अभियान, कॉलेज चलें अभियान के अंतर्गत कोई भी विद्यार्थी प्रवेश से वंचित न रहे। आंगनवाड़ियों का संचालन बेहतर हो। आंगनवाड़ियों में केजी-1 और केजी-2 की कक्षाएं शुरू की जाएंगी। इसके लिए प्रशिक्षण जल्द शुरू होगा। अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रावास और आश्रमों का भी भ्रमण कर जनप्रतिनिधि व्यवस्थाएं सुधारने में सहयोग करें। सभी स्थानीय निकायों के कार्यालय नियमित रूप से खुलें। जन प्रतिनिधियों का जिला प्रशासन से अच्छा समन्वय हो।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति के लिए समुचित प्रबंध सुनिश्चित करें। गौ-वंश अधिनियम के अंतर्गत गौ-वंश के अवैध परिवहन पर सख्ती से कार्यवाही की जाए। राज्य सरकार ने गौ-शालाओं को दी जाने वाली राशि दोगुनी कर दी है। प्रदेश में एक हजार गौ-शालाओं का संचालन किया जाना है। कोई भी गौ-माता बाहर सड़कों पर न घूमें, इसके लिए सब मिलकर प्रयास करें।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बाढ़ से बचाव संबंधी सभी उपाय पहले से ही सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व संबंधी कार्यों का निराकरण शीघ्रता से करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में श्री अन्न (कोदो-कुटकी) को बढ़ावा देने के लिए कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी-जनप्रतिनिधि सरकार के अंग हैं। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों में बेहतर समन्वय रहे। उन्होंने कहा कि स्कूलों, कॉलेजों में शिक्षकों की कमी दूर करने के समुचित उपाय किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आदर्श विधान सभाएं बनाने के लिए जरूरी विकास कार्य और उपाय सुनिश्चित किए जाएं। जिला स्तर पर बैठक कर विकास कार्यों का रोड मैप तैयार करें। उन्होंने कहा कि आगामी त्योहारों पर कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी बनी रहे। सांसद और विधायक आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए ऐसी व्यवस्था बनाएं कि वे अपने कार्यालय से ही व्यक्तिगत रूप से वीडियो कांफ्रेंसिंग कर सकें।

राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा ने जानकारी दी कि प्रदेश में पहली बार 30 लाख राजस्व प्रकरण निपटाए गए हैं। नामांकन, बटवारा, सीमांकन आदि के प्रकरण तेजी से निपटाए गए हैं। प्रदेश का राजस्व 75 प्रतिशत बढ़ा है। खजुराहो सांसद श्री वी.डी. शर्मा ने कहा कि पौधरोपण अभियान में फलदार और छायादार पौधे लगाने से आमजनों को लम्बे समय तक उनका लाभ मिलता रहेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी की पहल के अनुरूप पात्र हितग्राहियों को आवास और आयुष्मान भारत योजना का प्रदेश में अच्छा लाभ मिला है। वीडियो कांफ्रेंसिंग में जनप्रतिनिधियों ने अपने सुझाव और मांगों से भी अवगत कराया।

सहकारी समिति के निर्वाचन के लिए आरओ नियुक्त

मप्र राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी श्री एमबी ओझा ने बालाघाट जिले अंतर्गत विभिन्न सहकारी समितियों के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया है।

बालाघाट : मप्र राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी श्री एमबी ओझा ने बालाघाट जिले अंतर्गत विभिन्न सहकारी समितियों के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया है। उन्होंने राजीव गांधी मछुआ सहकारी समिति मर्या बोरी लालबर्रा के संचालक मण्डल के निर्वाचन के लिए सदस्यता सूची को अंतिम रूप देने के लिए उप अंकेक्षक श्री अतुल राय को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया है। वहीं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय के विरूद्ध अपील प्राप्त करने एवं अपील का निर्धारित अवधि में निराकरण करने के लिए उप आयुक्त सहकारित जिला बालाघाट को अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने संचालक मंडल के निर्वाचन के लिए 20 जून से अलग-अलग तिथियों में कार्यक्रम की सूची भी जारी की है। 20 जून को सदस्यता सूची का प्रकाशन, 28 जून सूची पर आपत्ति प्राप्ती करने की अंतिम तिथि, 29 जून प्राप्त आपत्तियों का निराकरण व अंतिम सूची का प्रकाशन, 1 से 3 जूलाई तक आरओ के विनिश्चिय के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील करने की तिथि, 10 जुलाई अपीलीय निराकरण की अंतिम तिथि तथा 15 जुलाई को राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी को अंतिम सूची प्रस्तुत करने की तिथि सुनिश्चित की गई है।

सुभाष प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या. शिवपुरी के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त

शिवपुरी : म.प्र.राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी एम.बी.ओझा द्वारा जिले की सुभाष प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या. शिवपुरी के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में सहकारी निरीक्षक उमेश जैन को नियुक्त किया गया है। साथ ही रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय के विरूद्ध अपील प्राप्त करने एवं अपील का निर्धारित अवधि में निराकरण करने हेतु उपायुक्त, सहकारिता को अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

जारी कार्यक्रम के तहत प्रकाशित सदस्य सूची पर आपत्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि 8 जुलाई, सदस्यता सूची पर प्राप्त आपत्तियों के निराकरण की तिथि एवं अंतिम सदस्यता सूची के प्रकाशन की तिथि 9 जुलाई, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की तिथि 10, 11 एवं 12 जुलाई, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय के विरूद्ध अपील प्राप्त होने की स्थिति में अपील के निराकरण की अंतिम तिथि 19 जुलाई एवं राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी को अंतिम सूची प्रस्तुत करने की तिथि 23 जुलाई निर्धारित की गई है।

जिले में समर्थन मूल्य पर हुई 1098062 क्विंटल गेंहू की खरीद

रीवा : जिले में निर्धारित खरीदी केन्द्रों में एक अप्रैल से सहकारी समितियों द्वारा समर्थन मूल्य पर गेंहू की खरीद की जा रही थी। शासन द्वारा गेंहू खरीदी के लिए निर्धारित तिथि 25 जून तक जिले में 1098062 क्विंटल गेंहू की खरीद 24162 पंजीकृत किसानों से की गई। इस संबंध में जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि इसके लिए किसानों को 263 करोड़ 53 लाख 50 हजार की राशि मंजूर की गयी है। उपार्जित गेंहू का शत-प्रतिशत सुरक्षित भण्डारण करा दिया गया है। अब तक किसानों के बैंक खाते में 263 करोड़ 40 लाख 42 हजार 743 रूपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है। शेष बचे किसानों का भुगतान दो दिवस में कर दिया जाएगा।

अनुसूचित जन जाति उपयोजना (टी.एस.पी.) अन्तर्गत कृषि आदान वितरण एवं मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर कृषक प्रशिक्षण आयोजित

बड़वानी। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भोपाल एवं कृषि विज्ञान केन्द्र बड़वानी के सहयोग से एक दिवसीय कृषि आदान वितरण एवं कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 25 जून 2024 को कृषि विज्ञान केन्द्र बड़वानी, बजट्टा फार्म तलुन पर डॉ. एस. के. बड़ोदिया, प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केन्द्र बड़वानी के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया । इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भोपाल के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. जितेन्द्र कुमार व डॉ. खुशबु रानी तथा डॉ. अभिनाश दास वैज्ञानिक उपस्थित रहें। कार्यक्रम के आरंभ में डॉ. बड़ोदिया द्वारा अतिथिगण व उपस्थित कृषकों का स्वागत करते हुए कहा कि मृदा परीक्षण कराया जाना अत्यंत आवश्यक है व खरीफ फसलों में बीजोपचार के महत्व की जानकारी दी। इस कार्यक्रम में डॉ. जितेन्द्र कुमार, वरि. वैज्ञानिक, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भोपाल ने कृषकों से प्राकृतिक खेती के महत्व की जानकारी देकर आने वाले समय के लिये उपयोगी बताया साथ हीं मृदा में समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन करने की बात कही। साथ ही अन्य वैज्ञानिक डॉ. खुश्बु रानी ने उर्वरकों के प्रबंधन की बात कही । इस अवसर पर उपस्थित प्रधान वैज्ञानिक डॉ. अभिनव दास द्वारा प्राकृतिक खेती के महत्व पर प्रकाश डालते हुए संरक्षित खेती अपनाने पर जोर दिया । केन्द्र के मौसम वैज्ञानिक श्री रविन्द्र सिकरवार द्वारा कृषकों को जलवायु परिवर्तन आधारित खेती कर एकीकृत कृषि प्रणाली अपनाने की बात कही । इस अवसर पर उपस्थित कृषकों को वीडियो फिल्म के माध्यम से खरीफ फसलों में बीजोपचार व वैज्ञानिकों द्वारा खरीफ की प्रमुख फसलों की उन्नत उत्पादन तकनीकी की जानकारी देकर कृषि आदान वितरित किये गये । भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल के वैज्ञानिकों द्वारा आस-पास के कृषकों के प्रक्षेत्र का भ्रमण कर मृदा नमुना एकत्र किया । इस कार्यक्रम के सफलतापूर्वक आयोजन में कृषि विज्ञान केन्द्र के श्री जितेन्द्र अलावा, प्रक्षेत्र सहायक का महत्वपूर्ण सहयोग रहा ।

महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार पिछोर के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त

शिवपुरी : म.प्र.राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी एम.बी.ओझा द्वारा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या.पिछोर के संचालक मण्डल के सदस्यों, पदाधिकारियों एवं अन्य संस्थाओं में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु उप अंकेक्षक चमन सिंह को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया है। जारी कार्यक्रम के तहत नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जाने की तिथि 23 जून एवं नामांकन पत्रों की जांच एवं वैध नामांकन पत्रों की सूची का प्रकाशन की तिथि 24 जून, नामांकन पत्रों की वापसी, चुनाव लड़ने वाले अंतिम उम्मीदवारों की सूची का प्रकाशन एवं चुनाव चिन्हों का आवंटन की तिथि 25 जून, विशेष साधारण सम्मेलन में मतदान एवं मतगणना की तिथि 30 जून, रिक्त स्थानों के सहयोजन की तिथि 1 जुलाई, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा अन्य संस्थाओं में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु सूचना जारी किए जाने की तिथि 1 जुलाई तथा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष एवं अन्य संस्थाओं में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों के निर्वाचन की तिथि 5 जुलाई निर्धारित की गई है।

समानता पर आधारित कृषि और ग्रामीण विकास के संवर्धन की दिशा में नाबार्ड काम करे

सहकारिता मंत्री श्री सारंग की अध्यक्षता में नाबार्ड की बैठक

भोपाल : सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि ग्रामीण समृद्धि के लिये राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) काम करे। समानता पर आधारित कृषि और ग्रामीण विकास के संवर्धन की दिशा में नाबार्ड आवश्यक कदम उठाये। मंत्री श्री सारंग मंत्रालय में नाबार्ड की गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में प्रमुख सचिव सहकारिता श्रीमती दीपाली रस्तोगी उपस्थित थीं।

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि नाबार्ड और अपेक्स बैंक से समन्वय स्थापित करने के लिये एक अधिकारी को नियुक्त किया जाये। उन्होंने कहा कि यह अधिकारी आपसी सामंजस्य बनाकर दोनों एक-दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ने को गति लाने का कार्य करें। नाबार्ड की योजनाओं का सभी को लाभ मिले, ऐसा प्रयास हो। श्री सारंग ने अधिकारियों को आवश्यक ट्रेनिंग मॉड्यूल पर भी काम करने के निर्देश दिये। उन्होंने अपेक्स बैंक ट्रेनिंग कॉलेज में आवश्यक ट्रेनर्स उपलब्ध कराने को भी कहा।

मंत्री श्री सारंग ने बिजनेस पर एम्पलाई के नॉम्स एवं पैरामीटर पर काम करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि हर सेक्टर में जरूरत के हिसाब से कितने लोगों की आवश्यकता है, यह भी प्लॉन किया जाना चाहिये। उन्होंने ग्रामीण सेक्टर में विकास के लिये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ बैठक करने के निर्देश दिये।

मंत्री श्री सारंग ने नाबार्ड के साथ हर माह एक बैठक करने के निर्देश दिये। उन्होंने नवाचार की दिशा में काम करने को कहा। उन्होंने कम्प्यूटराइजेशन और सॉफ्टवेयर डेव्हलपमेंट की दिशा में भी काम करने को कहा।

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास के लिये संस्थागत ऋण की व्यवस्थाओं के लिये नाबार्ड आवश्यक सहयोग करे, जिससे सहभागिता, संधारणीयता और समानता पर आधारित वित्तीय और गैर-वित्तीय सहयोग, प्रौद्योगिकी और संस्थागत विकास के माध्यम से समृद्धि लाने के लिये कृषि और ग्रामीण विकास का संवर्धन हो सके। बैठक में ग्रांट्स, रिफायनेंस, डिस्बर्स्ड पर भी चर्चा की गयी। नाबार्ड से आवश्यक सहयोग लेकर आगे बढ़ने की दिशा में कार्य करने को कहा गया। इस मौके पर सहकारिता विभाग के साथ नाबार्ड और अपेक्स बैंक के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

नैनो उर्वरकों के उपयोग पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित

सीहोर : किसान कल्याण तथा कृषि विकास, सहकारिता विभाग एवं उर्वरक सहकारी संस्था इफको द्वारा जिला पंचायत सीईओ श्री आशीष तिवारी की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित की गई। इस कार्यशाला में खरीफ फसलों की तैयारी एवं नैनो उर्वरकों के उपयोग के बारे में बताया गया। कार्यशाला में रासायनिक एवं पारंपरिक उर्वरक के स्थान पर नैनों उर्वरकों के उपयोग में बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। प्रशिक्षण में बताया गया कि, यूरिया एवं डीएपी का पौधे मात्र 25 से 30 प्रतिशत तक ही उपयोग कर पाते हैं तथा शेष नाइट्रोजन जमीन में नीचे रिस कर हमारे जल स्त्रोंतो को प्रभावित करता है।

कार्यशाला में बताया गया कि नैनो यूरिया 4 मीली प्रति लीटर एवं डीएपी 5 मिली प्रति लीटर का उपयोग सीधे पत्तियों पर छिड़काव करके किया जाता है, जिससे उर्वरक की एक संतुलित मात्रा ही पौधों को प्राप्त होती है। नैनो उर्वरक का उपयोग किसानों एवं पर्यावरण के हित में आवश्यक है, इसके उपयोग से उत्पादन में भी 5% की वृद्धि देखी गयी है। साथ ही आगामी सीजन में डीएपी उर्वरक की कम मात्रा में उपलब्धता होने से उसके स्थान पर एनपी के उर्वरक जैसे-12.32.16, 19.19.19, 16.16.16 आदि का उपयोग किया जाना चाहिए। कार्यशाला में उप संचालक कृषि श्री केके पाण्डेय, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री पीएन यादव तथा इफको के राज्य विपणन प्रबंधक श्री प्रकाश चंद्र पाटीदार एवं उप महाप्रबंधक श्री आरकेएस राठौर सहित कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री ने पीएम-किसान के तहत लगभग 20,000 करोड़ रुपये की 17वीं किस्त जारी की

मुझे खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि को सही लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किया गया है - प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री ने 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को कृषि सखियों के रूप में प्रमाण पत्र भी प्रदान किए

हमारे लिए किसान ही भगवान है और किसानों की सेवा भगवान की पूजा के समान है - केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वाराणसी में पीएम-किसान के तहत लगभग 20,000 करोड़ रुपये की 17वीं किस्त जारी की तथा कृषि सखियों के रूप में 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं अन्य कई राज्य मंत्री उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित और तकनीक के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े किसानों का अभिवादन किया और बताया कि करोड़ों किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपये जमा हुए हैं। उन्होंने कृषि सखी पहल को 3 करोड़ 'लखपति दीदी' बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पहल लाभार्थी महिलाओं के लिए गरिमा और आय के स्रोत का आश्वासन सुनिश्चित करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा, "पीएम किसान सम्मान निधि दुनिया की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना के रूप में उभरी है", उन्होंने कहा कि करोड़ों किसानों के बैंक खातों में 3.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक हस्तांतरित किए गए हैं, जहां अकेले वाराणसी में 700 करोड़ रुपये परिवारों को हस्तांतरित किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने लाभ को योग्य लाभार्थियों तक पहुंचाने में प्रौद्योगिकी के उपयोग की सराहना की और विकसित भारत संकल्प यात्रा का भी श्रेय दिया, जिसने 1 करोड़ से अधिक किसानों को पीएम किसान योजना के तहत खुद को पंजीकृत करने में सक्षम बनाया। उन्होंने कहा कि पहुंच बढ़ाने के लिए नियमों और विनियमों को सरल बनाया गया है। श्री मोदी ने कहा, "जब इरादे और विश्वास सही जगह पर हों तो किसान कल्याण से जुड़े काम तेजी से होते हैं।" प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि सखी कार्यक्रम ड्रोन दीदी कार्यक्रम की तरह ही इस दिशा में एक कदम है। आशा कार्यकर्ताओं और बैंक सखियों के रूप में महिलाओं के योगदान को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र अब कृषि सखियों के रूप में महिलाओं की क्षमताओं को देखेगा।

कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर पहली बार काशी पधारे हैं। उन्होंने कहा कि इतने बहुमत से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना एक इतिहास है। श्री चौहान ने कहा कि जनता द्वारा दिया गया यह जनादेश अपने आप में अद्भुत और अभूतपूर्व है।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए किसान ही भगवान है और किसानों की सेवा भगवान की पूजा के समान है। इसी भाव से भारत सरकार लगातार किसानों के कल्याण के कार्य में लगी है। श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये प्रधानमंत्री जी की किसानों और खेती के प्रति प्रतिबद्धता ही है कि उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले किसान सम्मान निधि अर्थात् किसान के खाते में पैसे डालने वाली फाइल पर साइन किया और आज यहां आकर अपना पहला कार्यक्रम भी किसानों के बीच में किया।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज प्रधानमंत्री जी के सिंगल क्लिक से लगभग सवा 9 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपये डलने के बाद लगभग 3,25,000 करोड़ रुपये अब तक किसानों के खाते में डाल दिए गए हैं। श्री चौहान ने कहा कि किसानों की आय दुगनी करने के रोडमैप पर लगातार काम हुआ है। इसके लिए एक और सिंचाई योजनाओं के माध्यम से नई तकनीक का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ाने के प्रयास लगातार जारी हैं तो दूसरी और उत्पादन की लागत घटाने के लिए सरकार अरबों रुपए की सब्सिडी देती है जिससे किसान को सस्ती खाद मिलती है। श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दुनिया में खाद के दाम आसमान पर हैं, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध करवा रही है।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड जैसी अद्भुत योजना ने साहूकारों के चंगुल से किसान को मुक्त किया है और छोटे किसान, किसान सम्मान निधि से खाद और बीज की व्यवस्था करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लिए गये फैसले के अनुरुप सभी प्रदेशों में किसान को फसलों के बेहतर दाम दिलाने के लिए फसल की लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत का लाभ देकर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है। श्री चौहान ने कहा कि प्राकृतिक आपदा में अगर फसल को नुकसान होता है तो भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई गयी है तो वहीं कृषि के विविधीकरण को लेकर भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं जैसे - फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधीय खेती, कृषि वानिकी, कृषि के साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन आदि को बढ़ावा ताकि किसान की आय दोगूनी हो जाए।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री का मानना है कि यह धरती केवल हमारे लिए नहीं है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। यदि अनियंत्रित कीटनाशक और खाद के प्रयोग से यह धरती बंजर हो गई तो आने वाली पीढ़ियां इस धरती पर कैसे रहेंगी। उन्होंने कहा कि इससे निपटने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्राकृतिक खेती का अभियान चलाया हुआ है। श्री चौहान ने कहा कि कृषि विभाग दिन-रात परिश्रम करेगा और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के कल्याण में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा।

श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री का संकल्प है तीन करोड़ लखपति दीदी बनाने का जिसमें से लगभग एक करोड़ लखपति दीदी बन चुकी हैं। उसी का एक आयाम है कृषि सखी जिन्हें आज प्रमाण पत्र भी वितरित किए गये हैं। उन्होंने कहा कि ये हमारी वह बहनें हैं जिनको किसानों को उनके काम में सहयोग करने के लिए ट्रेनिंग दी गई है। ऐसी 34,000 बहनों को अभी तक ट्रेनिंग दी जा चुकी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये कृषि सखियां एक ओर किसान को अच्छी खेती करने में सहयोग करेंगी तो दूसरी ओर अपनी आय भी बढ़ा पाएंगी। उन्होंने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए ये सभी प्रयास निरंतर जारी रहेंगे।

भारत को दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता पर जोर

केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में हुआ भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) का पूर्व छात्र सम्मेलन और राष्ट्रीय संगोष्ठी

नई दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) के पूर्व छात्रों का सम्मेलन आज पूसा, नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में हुआ। इस अवसर पर उन्होंने वैज्ञानिक समुदाय से अपील की कि वे छोटे और सीमांत किसानों के हित में कार्य करें और भारतीय कृषि में क्रांति लाएं। श्री चौहान ने कहा कि हमारे यहां लगभग 86% किसान स्मॉल- मार्जिनल फार्मर हैं। हमको खेती का मॉडल ऐसा बनाना पड़ेगा कि किसान एक हेक्टेयर तक की खेती में भी अपनी आजीविका ठीक से चला सकें।

केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि हम मिलकर कोई ऐसा रोडमैप बना लें, जिस पर चलकर न केवल भारतीय कृषि और किसान का कल्याण हो सके, बल्कि हम भारत को दुनिया का फूड बास्केट बना दें, दुनिया को अन्न खिलाएं, एक्सपोर्ट करें।

श्री चौहान ने भारत को दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही कहा कि हमारे किसानों की आय बढ़ाने और बदलते परिदृश्य के लिए तकनीकी उन्नति को अपनाना अत्यंत आवश्यक है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी कृषि नीति और शोध छोटे और सीमांत किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं।

श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि के परिदृश्य को पूरी तरह से बदलना मेरी जिद है। मैं किसान और विज्ञान को जोड़ना चाहता हूं। किसान को हमें विज्ञान से जोड़ना है और इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र बहुत उपयोगी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन तथा मिशन कृषि के क्षेत्र को आगे बढ़ाना और किसान का कल्याण करना है। मैं जिस दिन से कृषि मंत्री बना हूं, तभी से दिन-रात यही सोच रहा हूं कि किसानों के जीवन को कैसे और बेहतर बनाएं।

इस महत्वपूर्ण बैठक में डॉ. आर.एस. परोदा पूर्व महानिदेशक ICAR, डॉ. रमेशचंद सदस्य नीति आयोग और डॉ. हिमांशु पाठक सचिव DARE और महानिदेशक ICAR ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। IARI के निदेशक डा. ए.के. सिंह, DDG डा. आर.सी. अग्रवाल आदि भी उपस्थित थे। इन विशेषज्ञों ने भारतीय कृषि की चुनौतियों और संभावनाओं पर गहन चर्चा की और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नीतिगत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया।

डॉ. आर. एस. परोदा ने कहा कि भारतीय कृषि को नवाचार और वैज्ञानिक अनुसंधान की सहायता से उन्नत करना समय की मांग है। हमें किसानों के साथ मिलकर नई तकनीकों का परीक्षण और कार्यान्वयन करना होगा, जिससे उनकी पैदावार और आय में वृद्धि हो।

डॉ. रमेशचंद ने इस बात पर जोर दिया कि नीति निर्माण में किसानों की वास्तविक समस्याओं को समझना और उनका समाधान ढूंढना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि कृषि नीतियों को छोटे और सीमांत किसानों के अनुकूल बनाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हमें सुनिश्चित करना होगा कि वे नवीनतम तकनीकों और संसाधनों का उपयोग कर सकें।

डॉ. हिमांशु पाठक ने कृषि क्षेत्र में उन्नति के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार, वैज्ञानिक समुदाय और किसानों के बीच सहयोग से ही हम भारतीय कृषि को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं।

सम्मेलन के दौरान, यह निष्कर्ष निकाला गया कि किसानों की आय को बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। प्रतिभागियों ने भारतीय कृषि में नवाचार और शोध को बढ़ावा देने के लिए अपने सहयोग का आश्वासन दिया।

सम्मेलन में उपस्थित वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने भी अपने विचार साझा किए और भारतीय कृषि को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के लिए ठोस कदम उठाने का संकल्प लिया। उन्होंने कृषि अनुसंधान और विकास में निवेश को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया और किसानों की सहायता के लिए नई योजनाओं और कार्यक्रमों की शुरुआत की बात की।

इस बैठक में उपस्थित सभी विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों ने मिलकर भारतीय कृषि के भविष्य को सुरक्षित और समृद्ध बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि यह केवल सरकार और वैज्ञानिक समुदाय का नहीं, बल्कि पूरे देश का कर्तव्य है कि वे किसानों की मदद करें और भारतीय कृषि को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएं।

कृषि योजनाओं के लिए एमपी किसान पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य

इन्दौर : कृषि विभाग की विभिन्न योजना अंतर्गत बीज,सिंचाई यंत्र एवं आदान सामग्री का लाभ लेने के लिए जिले के कृषक किसान पोर्टल "एमपी किसान" पर ऑनलाइन पंजीयन करायें। पंजीयन के लिए बेब ब्राउजर पर kisan.mp.gov.in वेबसाइट के माध्यम से स्वंय या नजदीकी एमपी ऑनलाइन पर जाकर आवेदन करें। जिले के किसान भाई, कृषि विभाग से संबंधित योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए वेब ब्राउजर पर जाकर kisan.mp.gov.in यूआरएल के माध्यम से कृषक भाई स्वंय ही पंजीयन कर सकते हैं। किसान पोर्टल पर जाने के लिये दिए गए यूआरएल kisan.mp.gov.in वेब ब्राउजर पर अंकित करें। कृषि योजना मे पंजीयन करने के लिये कृषि योजना के लिये पंजीयन पर क्लिक करें।

कृषि योजना के लिये पंजीयन करे, लिंक पर क्लिक करने बाद नए टैब मे पंजीयन पेज ओपन हो जाता है तथा पंजीयन के लिए जरूरी दस्तावेज जो संलग्न होने की जानकारी दी जाती है जैसे कृषक का आधार कार्ड, कृषक की भूमि से सम्बंधित जानकारी, कृषक की समग्र आई.डी, कृषक का जाति प्रमाण - पत्र यदि आवेदक अनु.जाति,अनु.जनजाति का हो तो जानकारी ध्यान पूर्वक पढ़े और आगे बढ़े बटन पर क्लिक करने के बाद, किसान पंजीयन फार्म प्रदर्शित हो जाता है जहां दो ऑप्शन प्रदर्शित होते है। आधार नंबर द्वारा पंजीयन अथवा भू-अभिलेख द्वारा पंजीयन करें आप्शन में से किसी एक ऑप्शन के माध्यम से अपना पंजीयन कर सकते हैं। अथवा नजदीकी एमपी ऑनलाईन पर जाकर भी अपना पंजीयन, आवेदन करा सकते है। इस वर्ष कृषि विभाग के ऑनलाईन पोर्टल एमपी किसान पर अपने आवेदन का पंजीयन उपरान्त ही कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सकेगा। कृषक बन्धुओं से अपील की जाती है कि ऑनलाईन पोर्टल एमपी किसान पर अपना आवेदन पंजीयन करायें।

JILA SAHAKARI KENDRIYA BANK MYDT.SEHORE(M.P)

BALANCE SHEET FOR THE YEAR ENDED

Balance sheet of jila sahkari kendriya bank mdt.sehore (m.p) as on 31 march 2024

No.	Particulars	31-03-2023	31-03-2024
	Capital and liabilities		
1	Capital	1190563389.00	1192113389.00
2	Reserves, Surplus & Provision	1342104991.07	1395864281.07
3	Deposits	6974949475.02	7791410585.69
4	Borrowings	7188226771.00	7220174284.00
5	Other liabilities	979383407.26	971032913.53
6	Accumulated P/L	121446734.24	133285265.20
7	Net Profit & Loss	66809378.96	51990910.43
	TOTAL	**17863484146.55**	**18755871628.92**
	ASSETS		
8	Cash in hand	147811342.60	122643650.00
9	Balances with banks	644787998.84	628927174.81
10	Investments	2436394706.00	2627966778.50
11	Advances	12911355196.02	13907721777.98
12	Fixed assets	66887390.52	65269859.52
13	Other assets	1656247512.57	1403342388.11
	TOTAL	**17863484146.55**	**18755871628.92**

JILA SAHAKARI KENDRIYA BANK MYDT.SEHORE(M.P)

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 ST MARCH 2024

Particulars	31-03-2023	31-03-2024
1. Income		
Interest earned	1174512084.29	**1294126074.93**
Other income	9138708.12	14689254.13
TOTAL	**1183650792.41**	**1308815329.06**
2. Expenditure		
Interest expended	814200117.78	953810186.44
Operating expenses	302326804.03	303014232.19
Provisions and contingencies	314491.64	0.00
TOTAL	**1116841413.45**	**1256824418.63**
3. Profit/loss		
Net profit/loss(-) for the year	66809378.96	51990910.43
TOTAL	**1183650792.41**	**1308815329.06**

मेसर्स आर.सी.बहेती एण्ड कम्पनी
सनदी लेखापाल
रंजन बहेती
फर्म रजिस्टेशन नं. 400993

कलेक्टर एंव प्रशासक
जिला सहकारी केन्द्रीय बैक
मर्यादित सीहोर

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला सहकारी केन्द्रीय बैक
मर्यादित सीहोर

निर्गमित किया
संयुक्त आयुक्त सहकारिता सहकारी संस्थाऐ
भोपाल संभाग भोपाल, 6.25.2024

R. C. BAHETI & CO.
Chartered Accountants
HEAD OFFICE
24, Zone – II, M. P. Nagar, Near Som Distilleries
Bhopal – 462011
Ph. 0755 - 4908690 MOB. 09826282060
Email - rameshchandrabaheti@yahoo.com
ranjanbaheti@gmail.com

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में,

सदस्य, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादीत, सीहोर (म.प्र.)

वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट (Report on Financial Statements):-

हमने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादीत, सीहोर द्वारा दिए गए वित्तीय विवरण पत्रों का लेखा परीक्षण किया है, जिसमें उनका मुख्य कार्यालय एवं 27 शाखाएं शामिल है, जिनमें 31-03-2024 का तुलना पत्र, लाभ और हानि खाता और अन्य स्पष्टीकरण संबंधी जानकारी का सारांश शामिल है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का दायित्व (Management's Responsibility for the Financial Statements):-

मध्य प्रदेश राज्य सहकारी समिति अधिनियम 1960 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों के अनुसार इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन जिम्मेदार है, जो वित्तीय स्थिति की सही और निष्पक्ष राय देता है। वित्तीय विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखा मानकों सहित एवं सामान्य लेखा परीक्षा मानदंडों के अंतर्गत, बनाई गयी है। इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरणों की रचना और प्रस्तुतिकरण से प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की रचना, कार्यानवयन और रखरखाव शामिल हैं, जो वित्तीय विवरण पर सत्य और निष्पक्ष राम को और उनके वस्तुगत त्रुटियों से मुक्तता को दर्शाते है।।

लेखा परीक्षक का दायित्व:- (Auditor's Responsibility)

हमारा दायित्व हमारे अंकेक्षण के आधार पर इन वित्तीय आंकड़ों पर राय व्यक्त करना है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के द्वारा जारी किए गए अंकेक्षण के मानकों के अनुसार लेखापरीक्षण किया है। उन मानकों के अंतर्गत हमें यह आवश्यक है कि हम नैतिक नियमों का पालन करते हुए, लेखा परीक्षण की योजना और निष्पादन कर, उचित आश्वासन प्राप्त करते हैं कि वित्तीय विवरण उल्लेखनीय / वस्तुगत त्रुटियों से मुक्त है या नहीं।

अंकेक्षण में वित्तीय वक्तव्यों में राशि और प्रकटीकरण के बारे में साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं शामिल हैं। चयनित प्रक्रियाएं अंकेक्षक के विवेक पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरण की त्रुटियों के जोखिम के आकलन शामिल हैं जो चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो। उन जोखिम का मूल्यांकन करने में, अंक उन आतंरिक नियंत्रणों का ध्यान रखताहै जो वित्तीय विवरणों की रचना और प्रस्तुति में प्रासंगिक है, जिससे वह उन अंकेक्षण प्रक्रिया की रचना कर पाए जो उन परिस्थितियों में उपयुक्त है न कि इकाई के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर कोई सय वाक्त करने के उद्देश्य से एक लेखापरीक्षा में लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन के अनुमानों के मूल्यांकन के साथ-साथ वित्तीय वक्तव्यों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करने का कार्य भी शामिल है।।

हम मानते है कि हमारा अंकेक्षण साध्य आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और अप्रासंगिक है। हमारा विश्वास है की हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किये है, वह हमारी लेखा परीक्षा राम प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त एवं पर्याप्त है।

मर्यादित राय का आधार (Basis for Qualified Opinion):-

बैंक की प्राधिकृत अंश पूंजी रुपए 100 करोड़ है परंतु वित्तीय वर्ष 31.03.2024 के अंत में प्रदत्त अंश पूंजी रुपए 119.21 करोड़ है जो कि प्राधिकृत अंश पूंजी से अधिक है एवं नियमों के विरुद्ध है। बैंक को अपनी प्राधिकृत अंश पूंजी में वृद्धि के लिए आवश्यक कदम अति शीघ्र उठाना चाहिए।

लेखांकन नीतियों की अभिव्यक्ति AS-1 (DISCLOSURE OF ACCOUNTING POLICIES) की अपेक्षानुसार वित्तीय पत्रको को तैयार करने एवं उनके प्रस्तुत करने में अपनाई गई सभी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सामान्यतः एक ही स्थान पर प्रस्तुत करना चाहिए एवं बोर्ड के द्वारा पारित किया जाना चाहिए

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखा मानक 3 "कॅश फ्लो स्टेटमेंट" के अनुसार नकद प्रवाह विवरण Cash Flow Statement) तैयार करना है, लेकिन प्रबंधन ने इसे तैयार नहीं किया है जो की लेखा मानक 3 की अवहेलना है।

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखा मानक- 9 रेवेन्यू रेकॉन्ग्रीशन के अनुसार, निवेश पर ब्याज आय को अर्जित आधार' (Accrual basis) के अनुसार प्रविष्टि किया जाना है, बैंक ने नकद आधार (Cash Basis) अर्जित आधार' (Accrual basis) के अनुसार इस तरह के आइटम जमा पर ब्याज आय की प्रविष्टि की है।

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखा मानक-15 एम्प्लोगी बेनिफिट के अनुसार सुधाई गयी आवश्यकताओं का पालन नहीं किया गया है।

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखा मानक-22 "एकाउंटिंग फॉर टैक्सेज ओन इनकम की आवश्यकता के अनुसार टैक्स के लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखा मानक-29 प्रोविजन्स, कंटिजेंट लायबिलिटीज एंड कंटिजेंटएसेट्स" की आवश्यकता के अनुसार कॅटिजेंट लायबिलिटीज नहीं दर्शाई गयी है।

"बोनस भुगतान अधिनियम 1965 की धारा 11 का पालन नहीं किया गया है।

कैश रजिस्टर और तुलन पत्र के अनुसार नकदी शेष में अंतर देखा गया है, जिसके लिए 31/03/2024 को दिए गए। विवरण नीचे दिए गए हैं।

क्र.	शाखा	कोड	तुलन पत्र के अनुसार शेष राशि	कैश रजिस्टर के अनुसार शेष राशि	अंतर
1	आशठा	01	61,62,017.00	60,13,525.00	1,48,492.00
2	हकीमाबाद	02	61,198.00	-	61,198.00
3	एक्सटेंशन काउंटर मंडी आशठा	05	13,35,447.00	13,35,477.00	(30.00)
4	मंडी सीहोर	51	40,79,037.00	40,78,987.00	50.00
5	हेड ऑफिस	52	20,60,793.00	20,24,867.00	35,926.00

आयकर विभाग के फॉर्म 26 एस के अनुसार विभिन्न आय स्रातों पर टीडीएस रु.1,22,510.00 काटा गया है जबकि बैंक द्वारा पुस्तकों में रु. 1,51,029.46 दर्ज की गई है। जिसका विवरण निम्न अनुसार है:

Particulars	Amount
Reliance General Insurance Company Limited	79,343.00
Central Bank Of India Regional Office	31,483.00
The New India Insurance Company Ltd. Bhopal	11,606.00
Pension Fund Regulatory And Development Authority Delhi	78.00
Total	**1,22,510.00**
Less: As per books of accounts	1,51,029.46
Difference	**28,519.46**

वर्षात दिनांक 31/03/2024 पर नगदी सिल्क एवं स्कंध का भौतिक सत्यापन सक्षम अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाए परंतु बैंक द्वारा इस आदेश के प्रति पालन से संबंधित दस्तावेज हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं।

प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए आयकर के लिए प्रावधान नहीं किया गया और इससे संबंधित वर्किंग भी हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं कराई गई है एवं अग्रिम कर की राशि को संपत्तियों के पक्ष में दिखाए जाने के स्थान पर लाभ हानि खाते में नाम किया गया है।

बैंक एवं इसकी समस्त 27 शाखाओं द्वारा स्थाई संपत्तियों का भौतिक सत्यापन प्रति वर्ष 31 मार्च को किया जाता है तथा बैंक द्वारा इन सब स्थाई संपत्तियों पर डेप्रेसिअशन WDV मैथड के अनुसार लिया गया है। कंप्यूटर पर डेप्रेसिअशन WDV मैथड वैल्यू से 33.33% लिया गया हैं जबकि 33.33% एस एल एम् मेथड से लेना चाहिए था।

बैंक द्वारा EXCH AND COMM खर्चे(GL Code 8403055050) रु 68,72,652.36 को EXCH AND COMM आय (GL Code 7401045050) मद में दर्ज किया गया है।

(शेष पृष्ठ 7 पर)

तकनीकी प्रणालियों के प्रभावी इस्तेमाल से कृषि क्षेत्र में क्रांति आ सकती है : श्री चौहान

केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आगामी खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा की

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने खाद, बीज एवं कीटनाशकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आगामी खरीफ सीजन के लिए खाद, बीज एवं कीटनाशकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। श्री चौहान ने कृषि भवन में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ खरीफ सीजन 2024 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए उन्हें फसलों के लिए इनपुट सामग्रियों का समय पर वितरण एवं गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आपूर्ति श्रृंखला में किसी भी प्रकार की बाधा से बुवाई में देरी होती है। इसके परिणामस्वरूप उत्पादन प्रभावित होता है तथा इसे हर कीमत पर टाला जाना चाहिए। श्री शिवराज सिंह चौहान ने संबंधित विभाग को स्थिति की निरंतर निगरानी एवं समीक्षा करने के निर्देश दिए, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो। श्री चौहान ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इस वर्ष दक्षिण-पश्चिम मानसून का पूर्वानुमान सामान्य से बेहतर है। इस अवसर पर उर्वरक विभाग, केंद्रीय जल आयोग और भारतीय मौसम विभाग के अधिकारियों ने प्रस्तुतीकरण दिए। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव श्री मनोज आहूजा और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री को खरीफ सीजन की तैयारियों के बारे में जानकारी दी।

इससे पहले कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डीएआरई) के कामकाज की समीक्षा करते हुए श्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए खेतों के मशीनीकरण को बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कृषि शिक्षा को पेशे से जोड़ने की आवश्यकता पर भी जोर दिया ताकि कृषि विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले लोग खेती के तरीकों से जुड़ सकें। श्री चौहान ने किसान विकास केंद्रों (केवीके) की उपयोगिता में सुधार के लिए गहन चर्चा पर जोर दिया ताकि उन्हें देश के अंतिम किसान तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि तकनीकी प्रणालियों का प्रभावी इस्तेमाल कृषि क्षेत्र में क्रांति ला सकता है। उन्होंने वैज्ञानिकों से उत्पादकता में सुधार और नई नस्लों के विकास पर लगातार काम करने का आह्वान किया। श्री चौहान ने यह भी बताया कि प्राकृतिक खेती प्रणालियों को सरल बनाने की आवश्यकता है, ताकि अधिक से अधिक किसान इसे अपनी खेती के लिए अपनाएं। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव और भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र (आईसीएआर) के महानिदेशक श्री हिमांशु पाठक ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) की गतिविधियों और 100 दिवसीय योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आईसीएआर की 100 दिवसीय योजना में एक सौ फसल किस्मों का विकास और नई प्रौद्योगिकियों का एक सौ प्रमाणन शामिल है।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर और श्री भागीरथ चौधरी भी बैठकों के दौरान मौजूद थे।

पृष्ठ 6 का शेष)

भारत सरकार से प्राप्य इंटरेस्ट सबवेंशन क्लेम को दर्ज नहीं किया गया है, इससे प्राप्त होने पर पुस्तकों में दर्ज किया जाता है।

अस्वीकरण राय का आधार(BASIS FOR DISCLAIMER OPINION)

अपेक्स बैंक के निर्देशानुसार बैंक द्वारा PACS सदस्यों के PACS DMR खाते खोले जाने थे। बैंक द्वारा खाते खोले जाने की प्रक्रिया संस्था एवं बैंक स्तर पर जारी है जिसकी जांच की जाना अंकेक्षण के दौरान संभव नहीं है, अतः उक्त प्रक्रिया को शीघ्र अतिशिघ्र पूर्ण कर उसका अवलोकन किया जावे।

गत वर्ष यह पाया गया था की रु. 30,04,08,548.74/-, किसानों के व्यक्तिगत खातों में जमा की गई है परन्तु इसका उचित समायोजन सोसाइटी के खातों में नहीं किया गया है, जिसे बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में सोसाइटी के खातों में किया गया है। चूँकि बैंक द्वारा उपरोक्त रकम वित्तीय वर्ष 2023-24 में डेबिट की गई हे इसलिए CBS द्वारा उपरोक्त रकम पर ब्याज की गड़ना वित्तीय वर्ष 2023-24 से की गई है, जबकि उपरोक्त रकम पर जिस तारीक को किसान को ऋण दिया गया था उसी तारिक से सोसाइटी से ब्याज वसूला जाना चाहिए।

सेल अनपोस्टेड में अन्य संपत्तियों के तहत रु 33,65,143.67 का समाधान नहीं किया गया है, लेकिन प्रबंधन के अनुसार यह राशि अंग्रिम का हिस्सा है और उन्हें किसानों के संबंधित डीएमआर खातों के तहत सिस्टम द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है।

बैंक द्वारा NPA खातों का वर्गीकरण सबस्टैंडर्ड, डाउटफूल एवं लोस्स में सही नहीं किया गया है।

मर्यादित व अस्वीकरण राय (Qualified Opinion) :-

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार एवं प्रबंधन द्वारा हमें दी गयी जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, संस्था के वित्तीय विवरण, अंकेक्षण आपत्तियां, अंकेक्षण टिप में उल्लेखीत प्रधान कार्यालय और शाखाओं की अंनियमित्ताओं और खातों की टिपण्णी, अनुलग्न , LFAR लेखों पर टिप्पणियों और अस्वीकरण व मर्यादित राय के आधार में वर्णित मामलो के संभावित प्रभावों को छोड़कर वित्तीय विवरण सामान्यतः भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सत्य और निष्पक्ष राय को दर्शाते हैं, परिवर्तनों के ज्ञापन (MOC) के साथ पढ़ें-

(अ) तुलना पत्र के मामले में, बैंक के कार्य की 31-03-2024 की स्थिति और

(ब) लाभ और हानि खाते के विवरण के मामले में, उस तारीख पर समाप्त होने वाले लाभ के लिए

अन्य मामले (Other Matters) :-

उपरोक्त मर्यादित राय के आधार में वर्णित मामलों के अलावा हम उपयोगकर्ताओं का ध्यान वित्तीय विवरण के अन्य मामलों पर आकर्षित करते हैं जो कि अनुलग्नक अ में उल्लेखित हैं। इन मामलों के सम्बन्ध में हमारी राय मर्यादित नहीं हैं।

अन्य विधिक एवं नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट (Report on Other Legal and Regulatory Requirements) :-

हम सर्कुलर संख्या 106 DOS 192008 दिनांक 30-06-2008 विस्तृत पत्र संख्या NBDO-SPOL/1309 / 1 / 2008-09 में दिए गए आदेश के अनुसार बैंक को श्रेणी अ में वर्गीकृत करते हैं।

उपर्युक्त दर्शायी गई लेखापरीक्षा की सीमा मर्यादित व अस्वीकरण राय (Qualified Opinion & Disclaimer Opinion) और हमारी लेखो पर कि गयी अन्य टिप्पणियों (Other Matters) जो कि लेखा परीक्षा रिपोर्ट का ही भाग है के आधार पर हम सूचित करते हैं कि

(अ) हमने सभी जानकारियां और स्पष्टीकरण प्राप्त कर ली है जो कि लेखापरीक्षा के परीक्षण के लिए आवश्यक है।

(ब) हमारे द्वारा किये गए परीक्षण के अनुसार कानून द्वारा जरूरी खाते की उचित पुस्तकों को बैंक बना रही है।

(स) हम अपनी राय तथा सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर प्रमाणित करते हैं कि, शाखा में कोई अनौपचारिक और अनियमिता नहीं है। यदि कोई भी अनौपचारिक और अनियमितता पायी गयी है, तो वह व्यक्तिगत शाखा की परिक्षण सूची में शामिल है।

बैंक ने वित्तीय विवरण में वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमेबाजी के प्रभाव का खुलासा किया है। (कृपया वित्तीय विवरण के लिए अनुलग्नक देखें।)

हम यह रिपोर्ट करते हैं कि, परीक्षण के दौरान हमने 27 शाखाओं का अंकेक्षण किया है। चूंकि बैंक ने प्रमुख बैंकिंग प्रणाली के लिए मुख्य रूप से कोर बैंकिंग सिस्टम का उपयोग किया है, इसलिए शाखाओं द्वारा वित्तीय रिटर्न जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है। तदनुसार हमारी लेखापरीक्षा मुख्य कार्यालय और केंद्रीय प्रक्रिया इकाई पर केन्द्रित की गयी है ताकि हमारे लिए उपलब्ध कराए गए परीक्षण के प्रयोजन के लिए जरूरी दस्तावेजों और जानकारी की आवश्यकता की पूर्ति हो।

दिनांक:-24.06.2024

वास्ते:- आर.सी.बाहेती एंड कंपनी
चार्टेड अकाउंटेंट
रंजन बाहेती (पार्टनर)
मेम्बरशिपन.:- 400993, UDIN :-

कार्यालय जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या० शिवपुरी (म0प्र0)

कोर्ट रोड शिवपुरी (म.प्र.)

बैलेंस शीट पत्रक वर्षान्त 31 मार्च 2024 की स्थिति पर

गत वर्षान्त पर शेष 31.03.2023		विवरण देनदारियां		इस वर्षान्त पर शेष 31.03.2024
185,797,338.54	1	अंशपूंजी		185,807,895.54
500,000,000.00		(अ) अधिकृत अंशपूंजी	500,000,000.00	
		(ब) अभिदत्त अंशपूंजी		
		अंशो में प्रति अंश रूपय		
		अंशो में प्रति अंश रूपय		
		नाम मात्र के सदस्यों से अंश में		
		(स) प्रदत्त अंशपूंजी		
		अंशो में प्रति अंश रूपय		
		जिसमे से .....बकाया काल्स के कम करने पर		
		नाम मात्र के सदस्यों से अंश में		
		उक्त तीन मे से धारित		
44,463,540.00		1-शासन द्वारा	44,463,540.00	
140,274,913.54		2-समितियों द्वारा	140,285,470.54	
1,058,885.00		3-व्यक्तिगत नाम मात्र सदस्यों द्वारा	1,058,885.00	
968,469,959.99	2	आरक्षित निधि एवं अन्य रिजर्व :-		1,378,415,593.62
28,381,167.48		रक्षित कोष	28,381,167.48	
17,572,897.10		कृषि साख स्था. निधि	17,572,897.10	
42,949,212.90		भवन निधि	42,949,212.90	
6,621,375.72		वाहन निधि	6,621,375.72	
1,182,578.72		प्रशिक्षण निधि	1,182,578.72	
2,949,636.59		सहकारी विकास निधि	2,949,636.59	
6,759,479.35		अंश विमोचन रिजर्व	6,759,479.35	
115,149,000.00		रिवेल्यूवेशन फिक्स असेट फण्ड	115,149,000.00	
9,470,500.00		विनियोग अस्थिरता संचय	10,119,500.00	
-		विशेष डूबन्त संदिग्ध निधि हेतु प्रावधान	-	
-		संदिग्ध एवं डूबंत ग्रामीण क्षेत्र	-	
636,784,141.79		डूबन्त एवं संदिग्ध निधि हेतु प्रावधान	994,053,870.33	
3,706,551.16		स्टेन्डर्ड असेस्टस हेतु प्रावधान	479,442.60	
13,498,544.30		सबस्टेन्डर्ड असेस्टस हेतु प्रावधान	69,903,717.95	
67,233.25		लाभांश समीकरण निधि हेतु प्रावधान	67,233.25	
60,904.00		विनियोजित निधियां हेतु प्रावधान	60,904.00	

गत वर्षान्त पर शेष 31.03.2023		विवरण लेनदारियां (सम्पत्ति एवं आस्तियां)		इस वर्षान्त पर शेष 31.03.2024
		सिलक एवं बैंक बैलेस		
2,620,541.00	1	नगद रोकड़ तिजोरी में तथा रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, स्टेट बैंक, सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, राज्य सहकारी बैंक		4,784,209.00
6,594,753.72	2	सिलक अन्य बैंकों मे		157,215,739.57
		1-चालू अमानत		
(274,323.07)		अ-भारतीय स्टेट बैंक	(5,519,774.16)	
2,199,542.29		ब-अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक	159,163,898.73	
4,669,534.50		स-म0 प्र0 राज्य सहा बैंक	3,571,615.00	
42,636,235.92		2-मुद्दती अमानत		44,928,697.99
5,000,000.00		अ-म0 प्र0 राज्य सहक बैंक	5,019,699.00	
27,755,148.00		ब-रक्षित निधि शीर्ष बैंक	29,698,008.00	
1,000,000.00		स-भारतीय स्टेट बैंक	1,000,000.00	
850,467.93		द-अन्य सावधि जमा	0.00	
8,030,619.99		इ-सेन्ट्रल बैंक	9,210,990.99	
	3	मांग और अल्प सुचना पर प्रतिदेय राशि		
628,400,890.00	4	विनियोग		628,401,000.00
584,000,000.00		1-केन्द्रीय एवं राज्य शासन की प्रतिभतियो	584,000,000.00	
-		2-अमानती प्रतिभूतियो मे	-	
44,400,890.00		3-सहकारी संस्थाओ के अंशो मे	44,401,000.00	
	5	ऋण एवं अग्रिम		2,804,586,265.97
3,073,319,017.07		अ-अल्पावधि ऋण, नगदी साख, अधिविकर्ष तथा विलो मे	2,804,586,265.97	
		1-शासकीय प्रतिभूतियों		
		2-अन्य ठोस प्रतिभूतियो पर		
		3-व्यक्तिगत ऋण वांकी		
		4-कालातीत वांकी		
		5-अवमानक संदिग्ध डूबन्त ऋण		
139,284,270.51		ब-मध्यकालीन	113,878,537.23	113,878,537.23
		1-इसमे से शासकीय प्रतिभूतियों पर		
		2-अन्य ठोस प्रतिभूतियो पर		

गत वर्षान्त पर शेष 31.03.2023		विवरण देनदारियां		इस वर्षान्त पर शेष 31.03.2024
31,806,357.01		कर्मचारी उपादान	31,806,357.01	
16,825.64		सामान्य हितनिधि	16,825.64	
1,997.00		धर्मार्थ निधि	1,997.00	
807.00		कर्मचारी हितनिधि	807.00	
28,967.38		वोनस रिजर्व हेतु प्रावधान	28,967.38	
-		अन्य निधियां हेतु प्रावधान	-	
-		केपीटल रिजर्व हेतु प्रावधान	-	
51,388,160.00		अन्य प्रावधान	50,237,000.00	
73,623.60		केपीटल रिजर्व अन्य	73,623.60	
3,022,334,514.33	3	अमानते :		3,007,294,833.87
1,031,040,977.62		(अ) मुद्दती अमानते	1,017,265,443.40	
922,325,351.92		1-व्यक्तिगत अमानते	909,009,748.94	
-		2-केन्द्रीय सहकारी बैंक		
108,715,625.70		3-अन्य सहकारी समितियां	108,255,694.46	
1,921,011,637.18		(ब) बचत अमानते	1,915,907,924.40	
1,672,422,269.20		1-व्यक्तिगत अमानते	1,636,150,802.47	
-		2-केन्द्रीय सहकारी बैंक	-	
248,589,367.98		3-अन्य सहकारी समितियां	279,757,121.93	
70,281,899.53		(स) चालू अमानते	74,121,466.07	
30,537,526.45		1-व्यक्तिगत अमानते	29,839,831.05	
-		2-केन्द्रीय सहकारी बैंक	-	
39,744,373.08		3-अन्य सहकारी समितियां	44,281,635.02	
-		(द) आहूत एवं अल्पकालीन अमानते		
642,892,750.00	4	उधार		642,892,750.00
		भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, राज्य सहकारी बैंक		
639,000,000.00		(अ) अल्पकालीन ऋण नगद साख, अधिविकर्ष तथा बिलो मे इनमे से अन्य ठोस प्रतिभूति पर	639,000,000.00	
3,892,750.00		(आ) मध्यम अवधि ऋण इसमे शासन प्रतिभूतियो पर , इनमे से अन्य ठोस	3,892,750.00	
-		(इ) दीर्घकालीन	-	
13,229,270.00	5	देने योग्य बिल :		13,229,270.00
(238,124,475.05)	6	शाखाओ का जमाखर्चः		(260,560,819.95)
228,660,931.06	7	कालातीत ब्याज रिजर्व		228,660,931.06
85,920,624.50	8	ब्याज देय		80,595,186.46
(428,050,310.88)	9	अन्य देनदारियां		(914,508,907.71)
15,299,541.03		अ-सस्पेंश		15,299,541.03

गत वर्षान्त पर शेष 31.03.2023		विवरण लेनदारियां (सम्पत्ति एवं आस्तियां)		इस वर्षान्त पर शेष 31.03.2024
		3-व्यक्तिगत ऋण वांकी		
		4-कालातीत वांकी		
1,903,986.00		स-दीर्घावधि	1,914,074.00	1,914,074.00
		1-इसमे से शासकीय प्रतिभूतियों पर		
		2-अन्य ठोस प्रतिभूतियो पर		
		3-व्यक्तिगत ऋण वांकी		
		4-कालातीत वांकी		
135,036,064.68	6	व्याज लेना वांकी	134,792,651.68	134,792,651.68
		1-कालातीत ऋणो पर		
		2-चालू ऋणो पर		
		3-ऋण राहत शासन से		
1,577,769.00	7	बिल्स रिसीवएवल एज पर कान्द्रा	1,577,769.00	1,577,769.00
-	8	शाखा समायोजन	-	
214,881.44	9	भवन		193,393.44
1,048,867.56		1-पुस्तक मूल्य	1,048,867.56	
833,986.12		2-कम किया अवक्षयण	855,474.12	
1,561,883.22	10	साज सज्जा		1,405,695.22
5,593,979.58		1-पुस्तक मूल्य	5,593,979.58	
4,032,096.36		2-कम किया अवक्षयण	4,188,284.36	
104,733.11	11	कम्प्यूटर		790,120.11
4,750,218.50		1-पुस्तक मूल्य	5,659,318.50	
4,645,485.39		2-कम किया अवक्षयण	4,869,198.39	
84,938.10	12	ऑफिस इक्यूपमेंट		76,444.10
204,476.24		1-पुस्तक मूल्य	204,476.24	
119,538.14		2-कम किया अवक्षयण	128,032.14	
1,245,122.76	13	वाहन		1,058,354.76
2,631,387.00		1-पुस्तक मूल्य	2,631,387.00	
1,386,264.24		2-कम किया अवक्षयण	1,573,032.24	
115,149,000.00	14	भूमि		115,149,000.00
331,396,515.96	15	अन्य लेनदारियां		351,074,780.82
1,954.00		1-अनाज अग्रिम स्टाफ	1,954.00	
56,611.00		2-वेतन / प्रवास अग्रिम	55,111.00	
550.00		3-त्यौहार अग्रिम	550.00	

गत वर्षान्त पर शेष 31.03.2023		विवरण देनदारियां		इस वर्षान्त पर शेष 31.03.2024
(443,349,851.91)		ब-विविध देनदारियां		(929,808,448.74)
73,035,158.42		1-सण्ड्रीक्रेडिटर्स	72,796,749.08	
(2,120,904.52)		2-फुटकर देनदारियां	(2,120,904.52)	
515,502.00		3-अंकेक्षण शुल्क	513,943.00	
11,370,681.58		4- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के देय	9,621,807.58	
22,856,419.17		5- लैव्ही	21,227,259.57	
3,885,999.30		6- कैश केडिट खाद	4,065,527.56	
1,468,253.45		7- कैश केडिट विपणन	352,135.45	
606,885.62		8- म्यादी अमा० के तारण पर ऋण	386,425.85	
(1,367.50)		9-शासकीय ऋण ज्वाइंट फार्मिंग	(1,367.50)	
168,510.00		10-वोनस देय	168,510.00	
23,293.75		11-वेतन देय	23,293.75	
40,055.81		12-प्रोत्साहन राशि	40,055.81	
(28,317,162.77)		13-संवर्ग निधि	(29,294,182.77)	
494,681.82		14-भविष्य निधि कर्मचारी	913,016.82	
19,699.00		15-बचत बैंक गारंटी	19,817.00	
332,773.25		16-परिवार कल्याण कोष	352,335.25	
(15,742.25)		17-समूह बीमा	(22,078.25)	
42,550.00		18-एलआईसी	42,550.00	
185,855,437.93		19-फर्टीलाइजर सेल्स कलेक्शन	193,237,304.06	
2,536,865.00		20-टीडीएस पेविल	2,461,290.00	
42,649.36		22-जीएसटी पबिल	(28.64)	
2,298,358.00		23-सर्विस टेक्स	2,897,981.00	
869,830,673.63		24-अन्य दायित्व	933,930,606.99	
(158,099,295.39)		25-नेफ्ट अन्तर	(156,263,480.54)	
-		26-छात्रवृति	-	
(1,430,219,826.57)		27-लाभ/हानि	(1,985,157,015.29)	
4,481,130,602.49			-	4,361,826,732.89

गत वर्षान्त पर शेष 31.03.2023		विवरण लेनदारियां (सम्पत्ति एवं आस्तियां)		इस वर्षान्त पर शेष 31.03.2024
170,630.22		4-टीडीएस	1,646,421.22	
-		5-अग्रिम आयकर	-	
4,982,585.21		6-जीएसटी इनपुट	6,577,159.30	
386,354.07		8-लेखन सामग्री	515,378.07	
26,307.33		9-पुस्तकालय	26,307.33	
967,106.45		10-फार्स एवं पंजियां	967,106.45	
722,475.00		11- Clearing house	722,475.00	
2,368,148.00		12-संडीडेटर्स	2,386,148.00	
9,986,023.17		13-अन्य	9,990,682.17	
25,368,219.30		14-एल आई सील टस्टी फण्ड	29,111,421.30	
-		15-लाभांश प्राप्य एपेक्स बैंक	-	
473,250.00		16-प्रीमियम परिशोधन	473,250.00	
11,381,667.78		17-उपार्जित ब्याज	16,420,730.28	
2,969,203.64		18-राज्य शासन डीएमआर राशि प्राप्य	2,969,203.64	
2,809,506.00		19-केडर फण्ड वेतन समिति प्रबंधक	2,809,506.00	
7,060,130.51		20-केडर फण्ड वसूली योग्य	7,060,130.51	
1,617.32		21-लेव्ही पूल फण्ड	1,617.32	
567,969.00		22-शीर्ष बैंक से लेना शेष	567,969.00	
296,603.10		23-जवाहर रोजगार योजना	296,603.10	
11,502.50		24-संयुक्त ऋण ज्वाइंट फार्मिंग	11,502.50	
11,269,846.06		25 अन्य सम्पत्ति	9,637,284.33	
3.34		26-सिक्योरिटी सेटलमेंट	3.34	
72,693.00		27-अन्य व्यवसायिक सम्पत्ति	72,693.00	
13,574,376.00		28-शासन से मूल लेना	13,574,376.00	
7,230,808.00		29-शासन से ब्याज लेना	7,230,808.00	
228,640,375.96		30-पेक्स से लेना	237,948,389.96	
4,481,130,602.49				**4,361,826,732.89**

दिनांक : 15.06.2024
स्थान : ग्वालियर

प्रभारी प्रबंधक (लेखा)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

प्रशासक/कलेक्टर

मंजू राकेश एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजि नं 003924C
सीए आशुतोष चांडक
पार्टनर
में.नं. 421625
UDIN : 24421625BKGUZT4636

दिनांक : 15.06.2024
स्थान : ग्वालियर

प्रभारी प्रबंधक (लेखा)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

प्रशासक/कलेक्टर

मंजू राकेश एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजि नं 003924C
सीए आशुतोष चांडक
पार्टनर
में.नं. 421625
UDIN : 24421625BKGUZT4636

कोदो और कुटकी का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होगा उपार्जन

प्रदेश में ड्रिप इरीगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम को मिलेगा बढ़ावा

छिंदवाड़ा जिले की भारिया जनजाति को मिलेगा पीएम-जनमन योजना का लाभ

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की केंद्रीय मंत्री श्री चौहान से भेंट

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा पंचायत राज व ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से कृषि भवन दिल्ली में सौजन्य भेंट कर उनके मंत्रालयों से संबंधित प्रदेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के श्रीअन्न को प्रोत्साहन देने के आह्वान पर मध्यप्रदेश में उत्पादित कोदो और कुटकी को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के अनुरोध किया, जिससे प्रदेश के जनजातीय कृषकों को विशेष लाभ मिल सके। उन्होंने कोदो और कुटकी का रागी के बराबर न्यूनतम समर्थन मूल्य 4290 रुपए देने का अनुरोध किया, जिसे केंद्रीय कृषि मंत्री ने सहर्ष स्वीकार किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग का बंपर उत्पादन हुआ है जिससे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन मूंग के उपार्जन के लक्ष्य की सीमा को बढ़ाए जाने का भी अनुरोध किया। इस पर केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने उचित विचार करने का आश्वासन दिया। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने सुझाव दिया कि मध्यप्रदेश में दलहन और तिलहन फसलों का अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए, जिससे देश की खाद्यान्न सुरक्षा मजबूत हो सके।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रदेश में नहर से सिंचाई व्यवस्था के स्थान पर प्रेशराइज्ड पाइप से खेतों में पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 'मोर क्रॉप, पर ड्रॉप' के संकल्प पर काम करते हुए मध्यप्रदेश इस प्रेशराइज्ड पाइप से सिंचाई व्यवस्था में अग्रणी राज्य है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रेशराइज्ड पाइप के आउटलेट्स पर ड्रिप इरीगेशन और स्प्रिंकलर व्यवस्था लगाने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मिलने से किसानों को और अधिक फायदा होगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केंद्रीय कृषि मंत्री से ड्रिप इरीगेशन और स्प्रिंकलर व्यवस्था के अंतर्गत प्रदेश के लक्षित क्षेत्रफल को बढ़ाए जाने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि केंद्र सरकार की पीएम-जनमन योजना में मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले को शामिल नहीं किया गया है। यहां निवास करने वाली विशेष पिछड़ी जनजाति भारिया पीएम-जनमन योजना के लाभ से वंचित है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस जनजाति के विकास के लिए छिंदवाड़ा जिले को पीएम-जनमन योजना में शामिल करने का अनुरोध किया, जिससे इन्हें आवास और सड़क की सुविधा सुगमता से मिल सके। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने इस प्रकरण में उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

बैठक में प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री श्री संजय शुक्ला सहित केंद्रीय मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

लाभ हानि पत्रक वर्ष 2023-24

गत वर्षान्त पर शेष 31-03-23		व्यय	इस वर्षान्त पर शेष 31-03-24
		अन्य	
147,846,924.75	1	ब्याज दिया अमानत व ऋण पर	142,844,412.66
45,762,957.00	2	वेतन व भत्ते एवं भविष्य निधि	35,986,222.00
-	3	संचालक मण्डल एवं स्थानीय समितियों के सदस्यों का शुल्क एवं भत्ते	-
1,656,165.00	4	किराया, शुल्क, बीमा, बिजली आदि	1,021,702.93
316,300.00	5	विधि व्यय	584,140.00
-	6	आयकर	-
-	7	जीएसटी पेड	2,033,145.12
41,120.33	8	डाक, दूरलेख एवं दूरभाष	658,596.00
1,264,466.00	9	अंकेक्षण शुल्क	1,576,799.00
476,405.48	10	संपत्ति पर अवक्षयण एवं दुरूस्ती	596,651.00
329,994.44	11	लेखन सामग्री छपाई तथा विज्ञापन	204,345.70
-	12	मानक संदिग्ध एवं डूबत ऋण हेतु प्रावधान	91,957,301.09
-	13	कालातीत ब्याज हेतु प्रावधान	357,269,728.54
9,681,083.98	14	अन्य व्यय	9,622,308.56
-	15	ग्रेच्यूटी बैंक कर्मचारी	-
(55,496,287.10)	16	लाभ जो बैलेन्सशीट में ले जाया गया	(554,937,188.72)
151,879,129.88		**योग :**	**89,418,163.88**

गत वर्षान्त पर शेष 31-03-23		आय	इस वर्षान्त पर शेष 31-03-24
		अन्य	
143,982,272.76	1	ब्याज एवं छट	83,910,299.79
261,048.80	2	कमीशन, विनिमय एवं दलाली	27,111.67
-	3	सब्सिडी तथा अनुदान	-
	4	गैर बैंकिंग आस्तियों से हुई आय तथा ऐसी आस्तियों की बिक्री अथवा लेनदेन से हुआ लाभ	-
7,635,808.32		अन्य प्राप्तियां	5,480,752.42
151,879,129.88		**योग :**	**89,418,163.88**

दिनांक : 15.06.2024
स्थान : ग्वालियर

प्रभारी प्रबंधक (लेखा)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

प्रशासक/कलेक्टर

मंजू राकेश एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजि नं 003924C
सीए आशुतोष चांडक
पार्टनर
मे.नं. 421625
UDIN : 24421625BKGUZT4636

दुग्ध सहकारी समिति मर्या. लारोन में सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

छतरपुर (नौगांव)। म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल के सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र नौगांव (छतरपुर) के अंतर्गत जिला टीकमगढ़ की प्राथमिक सहकारी दुग्ध समिति मर्यादित लारोन में दिनांक 13.06.2024 को शिक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में प्राथमिक सहकारी दुग्ध संघ समिति मर्या. लारोन के अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि 10 लाख लीटर दूध खरीदीं करता है सांची' सांची दुग्ध संघ द्वारा हमारे प्रदेश में प्रतिदिन करीबन 10 लाख लीटर दूध की खरीदी की जाती है, 1977 में स्थापित सांची दुग्ध संघ के प्रदेश के 11 जिलों में 22 मिल्क चिलिंग सेन्टर है जहां किसानों से दूध की खरीदी कर इन चिलिंग सेन्टर तक पहुंचाया जाता है।

सांची मध्यप्रदेश के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों में सांची के सेन्टर्स खोलने की तैयारी कर रही है, इधर प्रदेश के कई और स्थानों पर इसके चिलिंग सेंटर और आउटलेट भी खोले जाएंगे, इसके प्रोडक्ट के विक्रय को बढ़ाने के लिए रणनीति बनाई जा रही है, मध्यप्रदेश दुग्ध उत्पादन के मामले में तीसरे स्थान पर है, प्रदेश में 17 हजार 999 मीट्रिक टन दुग्ध उत्पादन होता है, प्रदेश में हर दिन प्रति व्यक्ति दुग्ध की उपलब्धता 591 ग्राम है, जो राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है।

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र नौगांव के जिला सहकारी प्रशिक्षक श्री हृदेश राय द्वारा संतुलित पशु आहार, पशुओं की नस्ल सुधार, पशु उपचार एवं दुग्ध व्यवसाय विकास, सहकारिता आंदोलन, सहकारिता इतिहास, सहकारिता समिति से लाभ, सहकारिता की सामाजिक भूमिका, सहकारिता वर्तमान मे कैसे लाभकारी है - जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी प्रदान की गई। प्रशिक्षण में प्राथमिक सहकारी दुग्ध संघ समिति मर्या. पाली के अध्यक्ष, सचिव एवं सदस्य मौजूद रहें।

नैनो उर्वरकों का प्रयोग किसानों के लिए लाभकारी

कटनी। नैनो तकनीक आधारित नैनो यूरिया प्लस एवं नैनो डीएपी कृषि में लागत कम करने व लाभ के दृष्टिकोण से उपयुक्त है की जानकारी देते हुए किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उप संचालक ने बताया कि एक बोतल 500 मि.ली. नैनो यूरिया प्लस में एक बोरी यूरिया के बराबर ताकत होती है। इसी तरह नैनो डीएपी की एक बोतल में एक बोरी दानेदार डीएपी के बराबर पोषक तत्व पाये जाते हैं। नैनो यूरिया प्लस 4 मि.ली. प्रति लीटर पानी अथवा 500 मि.ली. की एक बोतल प्रति एकड़ की दर से घोल बनाकर फसलों की वनस्पतिक अवस्था (कल्ले/शाखा बनते समय) एवं फूल निकलने से पहले वाली अवस्था पर छिड़काव करना चाहिए। इसके प्रयोग से दानेदार यूरिया की मात्रा को 50 प्रतिशत तक घटाया जा सकता है। नैनो डीएपी का उपयोग बीज उपचार, जड़ उपचार एवं पर्णीय छिड़काव के रूप में किया जा सकता है। नैनो डीएपी से बीज उपचार 5 मि.ली. प्रति किलोग्राम बीज की दर से करें एवं उपचारित बीजों को 20 से 30 मिनट तक छाव में सुखाने के उपरांत ही बुवाई करे।

दुग्ध सहकारी समिति मर्या. पाली मे एक दिवसीय सहकारी प्रशिक्षण सम्पन्न

छतरपुर (नौगांव)। म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल के सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र नौगांव (छतरपुर) के विकास खण्ड विजावर की प्राथमिक सहकारी दुग्ध समिति मर्यादित पाली में दिनांक 18.06.2024 को शिक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र नौगांव के जिला सहकारी प्रशिक्षक श्री बाबूलाल कुशवाह द्वारा सहकारिता सिद्धांत, उत्पत्ति, पैक्सों के कम्प्यूटरीकरण के लाभ, लेखाकंन, समितियों के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के अधिकार एवं कर्तव्य, संतुलित पशु आहार, पाशुओं की नस्ल सुधार, पशु उपचार एवं दुग्ध व्यवसाय विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी प्रदान की गई। प्रशिक्षण में प्राथमिक सहकारी दुग्ध संघ समिति मर्या. पाली के सचिव श्री ज्ञानचंद यादव, श्री शरमन यादव, श्रीमति माया यादव इत्यादि सदस्य मौजूद रहें।

एन.सी.डी.सी. द्वारा खण्डवा जिले की सहकारी संस्थाओं को व्यवसाय के लिए वित्तीय सहायता देगी - आर.एस. कलेश

खण्डवा। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार क्षेत्रिय निदेशालय भोपाल द्वारा खण्डवा जिले की विभिन्न प्रकार की पंजीकृत सहकारी सस्थाओं जिनके पास भूमि है उन संस्थाओं को व्यवसाय करने हेतु एन.सी.डी.सी. द्वारा व्यवसायिक काम्पलेक्स, वेअरहाउस मेरेज गार्डन, पशुपालन, मुर्गीपालन/बकरी पालन तथा अन्य जो बिजनेस करना हो उन सहकारी सस्थाओं को एनसी.डी.सी के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, उक्त बात उप आयुक्त सहकारिता श्री आर.एस. कलेश ने जिला सहकारी संघ कार्यालय में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में कही। उद्यानिकी विभाग के उप संचालक श्री चौहान ने विभाग की विभिन्न योजनाओं पर मार्गदर्शन दिया। एन.सी. डी.सी. के उप निदेशक श्री गौरव कुमार शाक्या ने विस्तार से ऋण योजनाओं पर प्रकाश डाला। साथ ही उन्होनें संस्थाओ की योजनाओं का प्राक्कलन तैयार कर प्रतिवेदन प्रेषित करने हेतु आव्हान किया तथा उन्होनें बताया कि किस व्यवसाय पर कितना वित्तीय सहायता प्रदान की जावेगी तथा कितना अनुदान मिलेगा विस्तार से जानकारी दी।

उक्त कार्यशाला में मार्केटिंग को आपरेटिव सोसायटी, बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ, दुग्ध सहकारी समितियाँ महिला आजिविका सहकारी समितियों के संस्था प्रबंधक एवं अध्यक्ष उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन एवं आभार जिला सहकारी संघ के प्रबंधक मेहताबसिंह भदौरिया द्वारा किया गया।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।